डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 369/2019

अर्जनसिह पुत्र जीतसिह जाति जटसिख निवासी नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. गुरमीतसिह
2. जसवीरसिह
3. चरणसिह

} पि0 श्रवणसिह जाति जटसिख निवासी नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि **क.**वादी अर्जनसिह को चकनं0 9 सीडीआर के खाता सं0 50 प0न0 228/265 मु0 151 किलानं0 4, 5/1/.228, 5/2/.025 रास्ता, 7,14,17/.759 है0 **ख.**प्रतिवादीसं0 1 ता 3 को ब0हि0ब0 चकनं0 1 एस आर डबल्यू के खाता सं0 9/12 प0न0 227/267 मु0 13 किलानं0 1/.215 है0 व इसी चक के खाता सं0 10/10 प0न0 226/267 मु0 14 किलानं0 4 ता 8/1.265 है0 मय गै0मु0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा चकनं0 1 एसआर डबल्यू के खाता सं0 10/10 अर्जनसिह व इसी चक के खाता सं0 9/12 में अर्जनसिह का नाम कलमजन करने व चकनं0 9 सीडीआर के खाता सं0 50 मे से प्रतिवादीसं0 1 ता 3 का हिस्सा कम करने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25/10/19 को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner